



# नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण

(जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)

**NARMADA CONTROL AUTHORITY**

(Ministry of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation, Govt. of India)

नर्मदा सदन, सेक्टर-बी, स्कीम नं. 74 सी, विजय नगर, इन्दौर-452 010 (म. प्र.)

Narmada Sadan, Sector-B, Scheme No. 74-C, Vijay Nagar, Indore-452 010 (M.P.), INDIA

संख्या : अ-12(3)/प्रशा./2031

दिनांक : 10.10.19

## कार्यालय ज्ञापन

ओपीडी चिकित्सा देयको के प्रतिपूर्ति के संबंध में इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी कार्यालय ज्ञापन सं.अ-12(3)/प्रशा./1092, दिनांक 9.7.2015 के संदर्भ में, नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को ननिप्रा पुर्नः भुगतान के गाइडलाइन हेतु निम्नलिखित बिन्दु से पुनः अवगत कराया जाता है :

**"1000/- रुपये से अधिक ओपीडी दावों (किसी भी मान्य पद्धति से इलाज होने पर) के लिए सम्बन्धित को इलाज हेतु खरीदी दवाईयों/औषधियों के रैपर, शीशी इत्यादि को तब तक सम्भाल कर रखना आवश्यक होगा जब तक की सम्बन्धित देयक पारित नहीं हो जाता है। प्राधिकारी के मांगे जाने पर उक्त सामग्री अविलम्ब कार्यालय में प्रस्तुत करने की अनिवार्यता होगी अन्यथा सम्बन्धित के देयकों पर नियमानुसार उचित कार्रवाई किया जावेगा। (सीएसएमए. नियम पुस्तिका-2017 पृ:302)"**

यह सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

आर. वासुदेवन  
10/10/19  
(आर. वासुदेवन)  
उप निदेशक (प्रशासन)

प्रतिलिपि :

1. कार्यकारी सदस्य के प्रधान निजी सचिव, ननिप्रा, इंदौर
2. सदस्य (सिविल)/सदस्य (विद्युत)/सदस्य (पर्या. व पुर्न.) के निजी सचिव, ननिप्रा, इंदौर ।
3. सचिव/मुख्य अभियंता, ननिप्रा, इंदौर ।
4. निदेशक (सिविल), ननिप्रा, बड़ोदा ।
5. समस्त उप निदेशक स्तर के अधिकारी गण, ननिप्रा, इंदौर/भोपाल ।
6. वित्त अधिकारी, ननिप्रा, इन्दौर ।
7. संपर्क अधिकारी, ननिप्रा, नई दिल्ली ।
8. सहायक निदेशक/अभियंता, जमौविउस, इंदौर/मण्डला/होशंगाबाद ।
9. सहायक जन संपर्क अधिकारी इन्दौर को आवश्यक कार्यवाही हेतु कृपया, ननिप्रा की वेब साइट पर अपलोड करें ।
10. कार्यालय आदेश संचिका

आप सभी से अनुरोध है कि अपने अधीनस्थों (अनुबंध के अलावा) को इस का. ज्ञा. से अवगत करावें।



स्वच्छ सुरक्षित जल-सुन्दर खुशहाल कल  
CONSERVE WATER - SAVE LIFE